

23/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपाह्वित
पत्रावली वाले साक्ष्यवादी अन्तिम अवसर
मे दिनांक 24/8/22 को पेश हो।

24/8/22

प्रीतसीन अधिकारी अंकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक.....को पेश हो
23/11/22
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

23/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप.
पत्रावली वाले साक्ष्यवादी अन्तिम अवसर
मे दिनांक 01-1-2023 को पेश हो।

9/12

पत्रावली पेश हुई। रक रक कर तीन बार
आवाज दिलाई गई। न ले वकील वारीगण
उप. न ही वारीगण। ऐसी स्थिति मे
न्यायालय उक्त वाद को आगे जैरकार
रखना उचित नही समझा है। अतः
उक्त वाद को अदम दजरी अदम पैरवी
मे रवारिज किया जाया है। पत्रावली
फैमल शुमार होकर नम्बर से कम की
जावे। निर्णय आज दिनांक 01-2023 को
सरे इजलास सुनाया गया।